मुगलिया हाट की पेयजल व्यवस्था का ओडिशा के मंत्री ने किया अवलोकन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः ओडिशा के पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रबी नारायण नाइक ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुगलिया हाट गांव का दौरा कर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और जल गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था का अवलोकन किया।

उन्होंने पंचायत की कार्यप्रणाली और सामुदायिक भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भ्रमण के दौरान मंत्री ने ग्राम सरपंच, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) से जुड़ी महिला सदस्यों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने जल गुणवत्ता की नियमित जांच, पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तथा ग्रामीण समुदाय की सहभागिता की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने पीडीपी पोर्टल के माध्यम से पेयजल योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रबंधन प्रणाली का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने योजनाओं के संचालन, रखरखाव और पारदर्शी निगरानी तंत्र की जानकारी दी। तकनीकी व्यवस्थाओं का अवलोकन कर प्रतिनिधिमंडल ने उनके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की।

दौरे के दौरान मंत्री रबी नारायण नाइक और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

नई श्रम संहिताओं को श्रमिक-केंद्रित बनाने पर जोर

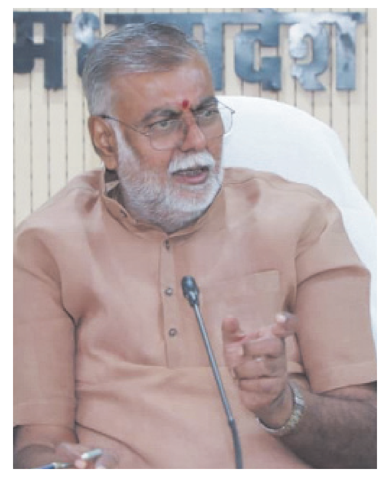

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि नवीन श्रम संहिताओं के नियम ऐसे बनाए जाएं, जिन्हें आम श्रमिक भी आसानी से समझ सके।

विकास भवन में प्रस्तावित राज्य श्रम नियमों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों को सरल, व्यावहारिक और पूरी तरह श्रमिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों सहित सभी श्रमिकों को अधिकतम सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। बैठक में राष्ट्रीय फ्लोर वेज और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कृषि एवं जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक निर्णय लिए जाएं। श्रमजीवी पत्रकारों से जुड़े नियम बनाने से पहले उनके संगठनों से संवाद करने पर भी बल दिया गया।

मंत्री ने अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने, दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना हेतु सक्रिय पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने तथा ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थलों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर चार नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य तकनीक आधारित पंजीयन, बेहतर श्रमिक सुरक्षा और उद्योगों के लिए सुगम कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

पंचायतों को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।

विकास भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगारोन्मुखी संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाए। पंचायतों का श्रेणीकरण वास्तविक आंकड़ों और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाए तथा इस प्रक्रिया में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए वर्षा ऋतु से पहले जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधूरे आवासों के मामलों का नियमानुसार समाधान कर जरूरत पड़ने पर उन्हें आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित किया जाए।

मंत्रालय में राष्ट्र-गीत एवं राष्ट्र-गान का हुआ सामूहिक गायन

भोपाल । जुलाई माह के प्रथम कार्य दिवस पर बुधवार को मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत 'वंदे-मातरम' एवं राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने देश-भक्ति से ओत-प्रोत मधुर धुनें प्रस्तुत कीं।

वंदे-मातरम गायन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, संजय कुमार शुक्ला, शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव मनीष सिंह सहित मंत्रालय वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी तथा पुलिस कर्मी उपस्थित थे।

स्कूल रेडीनेस मेला-2

बच्चों की सीखने की प्रगति का आकलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जेपी नगर परियोजना के नारियल खेड़ा सेक्टर की 25 आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल रेडीनेस मेला-2 का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की विद्यालय प्रवेश से पूर्व तैयारी का आकलन करना और उनकी सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना था। आयोजकों ने बताया कि मेले में शारीरिक, बौद्धिक, भाषा, गणित, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के स्टॉल लगाए गए। बच्चों ने उत्साहपूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया, जबकि अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भी सक्रिय सहभागिता रही। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की स्तुति राहंगडाले ने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 192 और 231 का भ्रमण कर बच्चों, अभिभावकों और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया तथा मेले के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया।

गोविंदपुरा में 46 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास केवल शासकीय प्रयासों से नहीं, बल्कि जनसहभागिता से संभव है। वे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-61 स्थित अवधपुरी मंडल में 46 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राज्यमंत्री ने क्रिस्टल कैंपस स्थित श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में छह लाख रुपये की लागत से बनने वाले शेड एवं प्लेटफॉर्म तथा तुलसी नगर फेज-एक में फ्लोरिंग कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं तथा इन विकास कार्यों से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

इसके अलावा लवकुश नगर में 20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड, नाली और रोड क्रॉस निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं अभिनव रिगल होम्स में 10 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क तथा शिव लोक फेज-4 में सार्वजनिक उपयोग के लिए शेड निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया गया।

अमर शहीद ढालिया के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि और सेवा कार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अमर शहीद बीरबल ढालिया के 81वें बलिदान दिवस पर राजधानी में श्रद्धांजलि और सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। शहीद गेट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में समाजजनों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शहीद बीरबल का बलिदान राष्ट्रप्रेम, त्याग और समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल है। बलिदान दिवस के अवसर पर सेवा भारती नानक मंडल द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन वितरण किया गया। वहीं बैरागढ़ स्थित मरी माता मंदिर परिसर में राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए शरबत वितरण कर सेवा का संदेश दिया गया। सभी ने शहीद बीरबल जी ढालिया के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया। आयोजन के अंत में शहीदों के सम्मान और उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।

आत्मसाक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं पर मंथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास एवं संस्कृति विभाग द्वारा 92वीं शंकर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी शक्तिशरणानंद पुरी ने 'मल, विक्षेप एवं आवरण 'विषय पर व्याख्यान देते हुए आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में आने वाली मानसिक बाधाओं और उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला।

स्वामी शक्तिशरणानंद पुरी ने कहा कि मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान तीन प्रमुख दोष—मल, विक्षेप और आवरण—आत्मज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उन्होंने बताया कि मल दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे संस्कारों से उत्पन्न होता है, जिसे निष्काम कर्म और सेवा भाव से दूर किया जा सकता है। वहीं रजोगुण से उत्पन्न मन की चंचलता को विक्षेप दोष बताते हुए उन्होंने कहा कि उपासना, ध्यान, यम-नियम तथा अभ्यास-वैराग्य से मन को एकाग्र बनाया जा सकता है। उन्होंने आवरण दोष को अज्ञान का पर्दा बताते हुए कहा कि मन के शुद्ध और एकाग्र होने के बाद भी सत्य का बोध तभी संभव है, जब वेदांत के महावाक्यों के श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अभ्यास किया जाए। रज्जु-सर्प के उदाहरण से उन्होंने भ्रम और सत्य के अंतर को सरल ढंग से समझाया।

व्याख्यान के समापन पर स्वामी जी ने कहा कि निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञान के निरंतर अभ्यास से मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आत्मज्ञान तथा परमानंद की अनुभूति कर 'अहं ब्रह्मास्मि' के सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विद्वान और अध्यात्म प्रेमी उपस्थित रहे।

भारतीय जूनियर हॉकी टीम में मप्र के कोनैन दाद का चयन

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य हॉकी अकादमी, भोपाल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मो. कोनैन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। वह 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरे में भारतीय जूनियर टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपनी तैयारियों को और मजबूत करेगी। कोनैन दाद टीम में फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मोहम्मद कोनैन दाद को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी लगातार देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्व. पुरुषोत्तम दास टंडन राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक, महान शिक्षाविद् होने के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक रहे। हम सभी के लिए स्व. टंडन का अविस्मरणीय योगदान युगों-युगों तक प्रेरणा का स्त्रोत रहेगा।

पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह से उनके जन्मदिवस पर भेंटकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समस्त रेल कर्मचारियों की ओर से महाप्रबंधक के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। श्री शर्मा ने कहा कि महाप्रबंधक का कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और कर्मचारियों के कल्याण के प्रति समर्पण संगठन के लिए प्रेरणादायी है।

आपदा प्रबंधन में जेंडर संवेदनशील मॉडल लागू करने की दिशा में पहल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः आपदा प्रबंधन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा यूएन वूमेन के बीच 'प्रवाह फेज-2' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के साथ मध्यप्रदेश देश का पहला जेंडर रिस्पॉन्सिव आपदा प्रबंधन मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ गया है।

होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की उपस्थिति में यूएन वूमेन की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा और होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की ओर से उप पुलिस महानिरीक्षक अमित सांघी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

डीजीपी से की मुलाकात महिला सुरक्षा पर चर्चा

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से यूएन विमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। बैठक में महिला सुरक्षा, जेंडर समानता, सामुदायिक पुलिसिंग, साइबर जागरूकता, नशा मुक्ति, बालिका सुरक्षा और पुलिस-समुदाय सहभागिता को मजबूत बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान यूएन विमेन इंडिया की डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कांता सिंह, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जोयात्री रे तथा पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री मकवाणा ने पुलिस द्वारा महिला एवं बालिका सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न अभियानों और नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान और विशेष ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से गुमशुदा बच्चों और बालिकाओं को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।

ननि की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में ठेले, पान पार्लर और बोर्ड जब्त किए

नप्र, भोपाल : नगर निगम ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ शहरभर में विशेष अभियान चलाकर कई स्थानों से अतिक्रमण हटाए तथा ठेले, पान पार्लर, काउंटर और बोर्ड जब्त किए। कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन, महापौर हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के साथ नियमित अभियान के तहत की गई।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शाहपुरा, बिट्टन मार्केट, जवाहर चौक, न्यू मार्केट, टीटी नगर, बाग सेवनिया, रायसेन रोड, लालघाटी, कमला पार्क, बैरागढ़ सहित शहर के अनेक क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण कर लगाए गए ठेले, सब्जी की दुकानें, गन्ने की चरखी, लोडिंग ऑटो तथा दुकानों के बाहर रखा सामान हटाया गया। खुशीपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बने एक चबूतरे को भी तोड़ा गया, जबकि शाहपुरा फॉर्च्यून प्राइड और न्यू मार्केट क्षेत्र से लोहे के गेट हटवाए गए।

कार्रवाई के दौरान निगम अमले ने एक ठेला, दो पान पार्लर, दो काउंटर और चार बोर्ड जब्त किए। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से हमीदिया अस्पताल परिसर में एक जर्जर मकान खाली कराया गया।इसके अलावा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से जवाहर चौक क्षेत्र में स्थित एक जर्जर मकान को खाली कराकर तोड़ने की कार्रवाई भी की गई।

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1100/ अ-6/26-27

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती मनीषा दांगी W/O विक्रम सिंह निवासी भोपाल म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702024A1432317 दिनांक 31/03/24 ग्राम भैरोपुर स्थित प.ह.नं. स्थित भूमि खसरा नंबर 172/2 के अंश भाग में अव्यपवर्तित भूमि क्षेत्रफल 299 वर्गफीट भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। 2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 09/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल

763

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1099/ अ-6/26-27

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक रीता सिंह दांगी W/O पूरण सिंह दांगी निवासी भोपाल म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702024A1432247 दिनांक 31/03/24 ग्राम भैरोपुर स्थित प.ह.नं. स्थित भूमि खसरा नंब 172/2 के अंश भाग में अव्यपवर्तित भूमि क्षेत्रफल 498 वर्गफीट भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। 2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह 09/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल

762

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र.0880/अ-6/2026-27

सर्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/बटान/बटवारा/ सीमांकत की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 08/07/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/बटान/बटवास/सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम पीपलनेर, खसरा नंबर 27/1/27/2 मे से क्षेत्रफल 1452.60 वर्गफिट उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है आवेदक का नाम), पिता (पति का नाम एवं पता/ फाईज अहमद/नसीम अहमद निवासी 17/2 श्रद्धानन्द पथ टेगोर मार्ग विदिशा आज दिनांक 29/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल

761

कार्यालय राजस्व-निरीक्षक रा.नि.मं. रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क्रं. 0210 अ/-12/2025-26
ग्राम नाम रतनपुर सड़क

सूचना-पत्र

प्रति, श्रीमती वंदना अग्रवाल पत्नी श्री अखिलेश अग्रवाल निवासी भोपाल ,श्रीमती ममता जैन पत्नी श्री विजेश जैन निवासी भोपाल।, श्रीमती छाया दांगडे पत्नी श्री दिनेश कुमार दांगडे अनेजा एवं अन्य निवासी भोपाल, श्रीमती राधा बेन पटेल पत्नी भवनजी भाई पटेल निवासी भोपाल।, हरीनारायण आ. राजमल गोयल निवासी भोपाल। श्रीराजेश गर्ग आ. राम अवतार गर्ग निवासी भोपाल। **विषय**:- सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिक श्रीमती वंदना अग्रवाल पिता श्री अखिलेश अग्रवाल निवासी भोपाल द्वारा ग्राम रतनपुर सड़क प.ह.नं. में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 447/1/1/11 रकबा क्रमांक 0.1000 हे. हेंक्टर भूमि कुल रकबा 0.1000 हेक्टयर भूमि का सीमांकन हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भुमि सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 3/07/2026 को समय प्रातः 11:30 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार जिला भोपाल

760

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/279/2026

इंदिरा नगरीगृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा चंद्रकिशोर बनाम के. शिवा नंदन

NEXT DATE :06-08-2026

प्रेषिती, के.शिवा नंदन श्री वी.के. पणिकर पताः- क्वार्टरएसडी नंबर-973,एन-02, हबीबगंज, भोपाल, मध्य प्रदेश **यह कि प्रार्थी** इंदिरा नगरीगृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा चंद्रकिशोर ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/279/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 19-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

कपिल बौरासी, न्यायाधीश
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

759

न्यायालय अपर तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त, भोपाल

प्रकरण कमांक 0441/अ-6/2026-27
दिनांकः 30/06/2026
ग्रामः नयापुरा

उद्घोषणा

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हॉरसमेन सर्विसेस प्रा.लि.मि. द्वारा डायरेक्टर श्री समीर खान आ. श्री हामिद उल्लाह खान, निवासी-78, इस्लामी गेट, शाहजहॉनाबाद, भोपाल, म.प्र. द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 114/2 पर स्थित भूखंड का क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट अर्थात 232.34 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP43IGR16022026A100750236 दिनांक-19/06/2026 के आधार पर किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया है। प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। जिसके संबध में मौखिक रूप से सूचना दिया जाना संभव ना होने के कारण उद्घोषणा प्रकाशन किया जाता है। उक्त सबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति, न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि पश्चात प्रकरण मे विधि अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी। आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 07/07/2026 को पेशी नियत है। उक्त उद्घोषणा दिनांक 30/06/2026 को न्यायालय अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त द्वारा मेरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया हैं।

अपर तहसीलदार
संतहिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

758